

पत्र संख्या-गव्य (आ0-07) 02/2025-(11)-

(पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य) ।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णिमा-प्रभारी-अररिया/अरवल/बोंका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/
लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिमा/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/
सारण/सिवान।

विषय-

पटना -15, दिनांक-
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ,
विपत्रकोड 02-2404007890101 माँग संख्या-02, अंतर्गत विषयशीर्ष-0101.3301-सब्सिडी में CFMS
में उपलब्ध राशि के तहत कुल ₹ 2,00,44,800/- (दो करोड़ चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
की राशि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)09/2020-1985, दिनांक-
07.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र गव्य विकास योजना" के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये कुल
रु० 48,48,24,800/- (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र के लागत व्यय
पर सब्सिडी के रूप में अनुदान देने हेतु स्वीकृत किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2025-2026 में "समग्र गव्य विकास योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत
सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर की डेरी ईकाई के स्थापना की
योजना हेतु ₹ 7,99,96,500/- (रु० सात करोड़ निनान्वें लाख छियानवें हजार पांच सौ) मात्र स्वीकृत किया गया
है।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित
जाति वर्ग के सदस्यों के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर
की डेरी ईकाई के स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष से उपबंधित राशि के अंतर्गत
₹ 2,00,44,800/- (दो करोड़ चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को
संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नवत राशि अतिरिक्त आवंटित किया जाता है:-

क्र०	विपत्रकोड 02-2404007890101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404007890101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी		
		पूर्व आवंटन	वर्त० आवंटन	कुल योग:-
1.	8,00,00,000/-	2,06,71,200/	2,00,44,800/-	4,07,16,000/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235 दिनांक
01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है। राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन
आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के
लिये विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, विपत्रकोड 02-2404007890101,
माँग संख्या-02, अंतर्गत विषयशीर्ष- 0101.33.01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से
होगा।

(कृ०पृ०उ०)

- 6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।
- 7) विभागीय राज्यादेश सं० 1455 दिनांक 26.03.2025 के आलोक में 08(आठ) जिलों में स्वीकृत नये जिला गव्य विकास कार्यालय हेतु महालेखाकार(ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र निर्गत होने के उपरान्त संदर्भित योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन संबंधित नये जिला गव्य विकास कार्यालय को किया जायेगा।

अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/—

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक—गव्य (आ०-०७) ०२/२०२५— / पटना -१५, दिनांक:—
प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक—गव्य (आ०-०७) ०२/२०२५— / पटना -१५, दिनांक:—
प्रतिलिपि—अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बोंका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिया/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/सारण/सिवान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक—गव्य (आ०-०७) ०२/२०२५— १६(आठ) पटना -१५, दिनांक:— १९/०९/२०२५.
प्रतिलिपि—प्रबंधक (आई०टी०), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९.०९.२५
निदेशक (गव्य)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष,"2404- डेरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0101-ग्रामीण डेयरी रोजगार योजनाएँ, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007890101 के विषय शीर्ष-0101.3301-सब्सिडी में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिये 75 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/ बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹ 2,00,44,800/- (रु० दो करोड़ चौवालीस हजार आठ सौ) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	02 उन्नत नस्ल के दुधारु मवेशी/ बाछी-हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान हेतु अतिरिक्त आवंटन (रु० में)		कुल योग (रु०)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	1378080	1336320	1378080	1336320
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रभारी-अररिया	645975	626400	645975	626400
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	1205820	1169280	1205820	1169280
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	1378080	1336320	1378080	1336320
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	1162755	1127520	1162755	1127520
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमूई	645975	626400	645975	626400
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	645975	626400	645975	626400
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	645975	626400	645975	626400
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	645975	626400	645975	626400
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	689040	668160	689040	668160
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	1291950	1252800	1291950	1252800
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	689040	668160	689040	668160
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	1205820	1169280	1205820	1169280
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	645975	626400	645975	626400
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	689040	668160	689040	668160
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	1894860	1837440	1894860	1837440
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	559845	542880	559845	542880
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	1851795	1795680	1851795	1795680
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	645975	626400	645975	626400
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	1464210	1419840	1464210	1419840
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सिवान	689040	668160	689040	668160
कुल योग :-		20671200	20044800	20671200	20044800

(रु० दो करोड़ चौवालीस हजार आठ सौ) मात्र।

निदेशक (गव्य)